

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,

सी-विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 05(02)/2015-16-क0सं0 एवं भाषा/ 5722- 5922 तक  
सेवा में,

दिनांक: 14/7/15

समस्त विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा  
समस्त विभागाध्यक्ष, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।

विषय: विविध हिन्दी प्रतियोगिताएं 2015-2016 के संबंध में ।  
महोदय/महोदया,

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ाने, इसका प्रचार प्रसार करने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रुचि पैदा करने के लिये भाषा विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रयास किये जाते हैं । इसी क्रम में दिनांक 14.9.2015 से 18.9.2015 तक हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, नं.-1, लुडलो कैसल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली-54 में दोपहर 3.30बजे से किया जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

दिनांक	प्रतियोगिता का नाम	उपस्थित होने का समय	स्थान
14.9.2015	हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता वर्ग "क" "ख", "ग" तथा "घ"	3.00बजे	राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, नं.1, लुडलो कैसल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली-54
15.9.2015	हिन्दी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता वर्ग "क" "ख", "ग" तथा "घ"	-वही-	-वही-
16.9.2015	हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता वर्ग "क", "ख" तथा "ग"	-वही-	-वही-
17.9.2015	हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता	-वही-	1. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नौवा तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-02 (कम्प्यूटर पर परीक्षा देने वाले) 2. हिन्दी टाइप व आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र, क0 नं0 20 दूसरी मंजिल, ओल्ड सिविल सप्लाइ बिल्डिंग, तीस हजारी, दिल्ली (मैन्युअल टाइपराइटर पर परीक्षा देने वाले)
18.9.2015	हिन्दी टाइप (मौखिक) एवं हिन्दी टाइप (लिखित)	-वही-	-वही-

उपरोक्त हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) दोनों परीक्षाएं दिनांक 17.9.2015 एवं 18.9.2015 को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नौवा तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-02 (कम्प्यूटर पर परीक्षा देने वाले) एवं हिन्दी टाइप व आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र, क0 नं0 20 दूसरी मंजिल, ओल्ड सिविल सप्लाइ बिल्डिंग, तीस हजारी, दिल्ली (मैन्युअल टाइपराइटर पर परीक्षा देने वाले) पर होंगी। कृपया अपने विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के बारे में अवगत कराने का कष्ट करें और प्रतियोगिता में शामिल होने के लिये इच्छुक प्रतियोगियों को सीधे परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने की अनुमति प्रदान करते हुए उनके नाम निर्धारित प्रपत्र में उचित माध्यम द्वारा भरकर दिनांक 09.9.2015 तक इस विभाग में भिजवाने का कष्ट करें ।

विशेष टिप्पणी :-

आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं की नियमावली इसके साथ संलग्न है। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक प्रतियोगियों से अनुरोध है कि वे अपना नाम भिजवाने से पूर्व संलग्न की गई नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) की मैन्युअल टाइप प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु टाइपराइटर उपलब्ध होंगे परन्तु वे अपना टाइपराइटर भी ला सकते हैं।

इस बार कम्प्यूटर पर हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) परीक्षा प्रारंभ की गई है। कम्प्यूटर पर परीक्षा देने वाले प्रतियोगी उपरोक्त पते पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में परीक्षा के लिये उपस्थित होंगे। मैन्युअल हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) परीक्षा पहले की तरह तीस हजारी स्थित केन्द्र पर ही होगी।


टीप: संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट [www.artandculture.delhigovt.nic.in](http://www.artandculture.delhigovt.nic.in) पर देखी जा सकती है।

भवदीय

(सुरेश कुमार शर्मा)  
हिन्दी अधिकारी (कला, संस्कृति एवं भाषा)  
दूरभाष संख्या :23392152

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/भ्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, तीस हजारी, दिल्ली ।
6. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आईपीएस्टेट, नई दिल्ली ।
7. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, मिन्दो रोड, नई दिल्ली ।
8. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली-92.
9. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केंद्र, नई दिल्ली ।
10. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
11. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड, आईपीएस्टेट, नई दिल्ली ।
12. प्रबंधक (मा.सं.), प्रशिक्षण एवं हिन्दी अनुभाग, इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ओ एंड एम भवन राजघाट पावर हाउस, नई दिल्ली-02.
13. निदेशक (कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेस-2, झण्डेवाला, नई दिल्ली ।
14. प्रशासनिक अधिकारी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यू.टी.सी.एस. बिल्डिंग, विश्वास नगर, दिल्ली ।
15. दिल्ली सरकार के समस्त स्वायत्त निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली ।
16. प्रधानाचार्य, राजकीय सहशिक्षा उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, नं.-1, लुडलो कैंसल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली-54
17. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियाँ/बोर्ड/परिषद/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली ।
18. श्री मोहम्मद अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कला, संस्कृति एवं भाषा को वेबसाइट पर डालने के संदर्भ में।


  
( सुरेश कुमार शर्मा )  
हिन्दी अधिकारी (कला, संस्कृति एवं भाषा)  
दूरभाष संख्या :23392152

## विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं की नियमावली (वर्ष 2015-2016)

1. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ समस्त स्वायत्त निकाय अर्थात् दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, समस्त जिला एवं सत्र न्यायालय और दिल्ली जल बोर्ड इत्यादि के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं ।
2. ये प्रतियोगिताएं निःशुल्क हैं ।
3. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने नाम हिन्दी अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सी-विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 इस्टेट, नई दिल्ली के पास उचित माध्यम से भेजने होंगे ।


आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं का विवरण निम्न प्रकार से है :-

4. इस प्रतियोगिता में हिन्दी में 5 मिनट की डिक्टेसन दी जाएगी तथा डिक्टेसन पूर्ण होने के पश्चात् प्रतियोगी को उत्तर पुस्तिका पर डिक्टेसन का हिन्दी रूपान्तरण अनिवार्य रूप से टाइप करके प्रस्तुत करना होगा। हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता 100 शब्द प्रति मिनट की गति से ली जायेगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा ।
5. हिन्दी टाइप (मौखिक) प्रतियोगिता 5 मिनट की होगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा तथा लिखित प्रश्न-पत्र नहीं दिया जाएगा ।
6. हिन्दी टाइप (लिखित) प्रतियोगिता 5 मिनट की होगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा तथा लिखित प्रश्न-पत्र दिया जाएगा ।
7. कम्प्यूटर पर हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) परीक्षा दिनांक 17.9.2015 एवं 18.9.2015 को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नौवा तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-02 में होगी ।
8. मैन्युअल हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) परीक्षा उपरोक्त तिथियों (17.9.2015 एवं 18.9.2015) को हिन्दी टाइप व आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र, क0 नं0 20 दूसरी मंजिल, ओल्ड सिविल सप्लाई बिल्डिंग, तीस हजारी, दिल्ली पर होगी ।
9. हिन्दी निबंध प्रतियोगिता में प्रतियोगी को दिए गए विषयों में से किसी एक पर कम से कम 500 शब्दों का निबंध लिखना होगा जो 100 अंकों का होगा और समयावधि 45 मिनट होगी। अहिन्दी भाषी प्रतियोगियों के निबंध के शब्दों की संख्या कम से कम 350 शब्द होनी चाहिए। निबंध का मूल्यांकन भाषा शैली, विषयपरकता, अभिव्यक्ति आदि मानकों के आधार पर किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे :-
  - (i) वर्ग "क" में 4600/-रुपये या उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत समस्त (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित) राजपत्रित अधिकारी शामिल होंगे।
  - (ii) वर्ग "ख" चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर सामान्य वर्ग के अन्य समस्त कर्मचारी।
  - (iii) वर्ग "ग" चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के समस्त कर्मचारी।



- (iv) वर्ग 'घ' समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित हैं।
10. हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण प्रतियोगिता का समय एक घंटे का होगा और इसके पूर्णांक 100 होंगे। इस प्रतियोगिता में कार्यालय के रोजमर्रा के विषयों से संबंधित हिन्दी में टिप्पणी एवं पत्र/परिपत्र/आदेश/ज्ञापन के प्रारूप लिखने होंगे। मूल्यांकन भाषा-शैली, विषयपरकता, नियमों के अनुसार प्रस्तुतिकरण के आधार पर किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे:-
- (i) वर्ग 'क' में 4600/-रुपये या उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत समस्त (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित) राजपत्रित अधिकारी शामिल होंगे।
- (ii) वर्ग 'ख' चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर सामान्य वर्ग के अन्य समस्त कर्मचारी।
- (iii) वर्ग 'ग' चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के समस्त कर्मचारी।
- (iv) वर्ग 'घ' समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित हैं।
11. हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता का समय 5 मिनट होगा। इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे :-
- (i) वर्ग 'क' में 4600/-रुपये या उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत समस्त (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित) राजपत्रित अधिकारी शामिल होंगे।
- (ii) वर्ग 'ख':- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के समस्त कर्मचारी।
- (iii) वर्ग 'ग':- समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित हैं।
12. प्रत्येक प्रतियोगिता के लिये नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है :-
- |                     |        |             |
|---------------------|--------|-------------|
| प्रथम पुरस्कार      | (एक)   | 4000/-रुपये |
| द्वितीय पुरस्कार    | (एक)   | 3000/-रुपये |
| तृतीय पुरस्कार      | (एक)   | 2000/-रुपये |
| प्रोत्साहन पुरस्कार | (पांच) | 800/-रुपये  |
13. कोई भी अधिकारी/कर्मचारी सभी प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो सकता है लेकिन उन्हें पुरस्कार केवल किसी एक प्रतियोगिता में ही दिया जायेगा, जिसमें उसकी मेरिट बेहतर होगी। यदि दो अधिकारी/कर्मचारियों ने समान अंक प्राप्त किये हैं तो रोल नम्बर के अनुसार पुरस्कार दिया जायेगा।
14. सचिव (भाषा), दिल्ली सरकार को इन प्रतियोगिताओं की नियमावली के किसी उपबंध, पुरस्कारों की राशि, संख्या, और परीक्षा के स्थान, तिथि व समय आदि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
15. इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी विवाद, शिकायत या इसके उपबंधों के निर्वहन आदि के बारे में, सचिव (भाषा), दिल्ली सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

16. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग तथा हिन्दी अकादमी के कर्मचारी एवं किसी अन्य संस्थान के राजभाषा विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी भाग नहीं लेंगे। शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के अध्यापक भी भाग नहीं ले सकेंगे।
17. प्रत्येक प्रतियोगिता के किसी एक वर्ग में इस वर्ष प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रतियोगी अगले एक वर्ष तक उस प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। जो प्रतियोगी इस वर्ष की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय पुरस्कार प्राप्त करते हैं, वे अगले वर्ष की प्रतियोगिता में केवल उससे ऊपर के पुरस्कार अर्थात् प्रथम या द्वितीय पुरस्कार के लिए ही पात्र होंगे। जो प्रतियोगी प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करते हैं वे एक वर्ग में लगातार केवल दो वर्ष तक ही प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगे।
18. प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर प्रतियोगी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा इसके अतिरिक्त उसे अगले तीन वर्षों के लिए प्रतियोगिता से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसी अनियमितता की सूचना उसके विभाग को उचित कार्यवाही हेतु भेज दी जायेगी।
19. प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए कम से कम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

  
( सुरेश कुमार शर्मा )  
हिन्दी अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
(कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग)

हिन्दी निबंध, हिन्दी टिप्पण-आलेखन, हिन्दी सुलेख, हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टाइप (लिखित/मौखिक) प्रतियोगिता 2015-2016 में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रपत्र:-

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम :
2. पिता/पति/माता का नाम :
3. पदनाम (ग्रेड पे अवश्य लिखें) :
4. शैक्षिक योग्यता :
5. क्या आप अनु.जा./जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य वर्ग से संबंधित है :
6. विभाग का नाम व पूरा पता दूरभाष संख्या सहित। :
7. कर्मचारी के हस्ताक्षर :

अग्रसारित करने वाले अधिकारी  
के हस्ताक्षर एवं मोहर

नोट: कृपया प्रपत्र भरने से पूर्व संलग्न नियमावली अवश्य पढ़ें।